न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व मूल वाद संख्याः– 64/2024

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.हुकमसिह पुत्र भॅवरलाल जाति राव निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01,चन्द्रभान पुत्र बशीलाल जाति राव निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर 02.पदमसिह पुत्र मगसिह जाति राजपूत निवासी निम्बला तहसील लूणी जिला जोधपुर 03.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थिति –

01.वादी की और से अधिवक्ता ईश्वर सिह चम्पावत उपस्थित

02.प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से सचिन दवे उपस्थित।

03.शेष प्रतिवादीगण सूचना के बावजूद उपस्थित नही।

आदेश दिनाकः– 29/11/2024

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिकी दिनांक 28.08.2024 को किया गया एव तहसीलदार लूणी को बटवाडा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 08.10.2024 को पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम डोली काकाणी के खसरा नम्बर 53 रकबा 4.2087 हैक्टर भूमि मे नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 08.10.2024 मय मौका फर्द दिनाक 30.09.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है–

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	लगान	किस्म
A	हुकमसिह पुत्र भंवरलाल जाति राव सा,शिकारपुरा खातेदार	53	1.4029	2.26	बारानी तृतीय
B	पदमसिह पुत्र मगसिह जाति राजपूत सा निम्बला खातेदार	53	1.4029	2.26	बारानी तृतीय
C	चन्द्रभान पुत्र बंशीलाल जाति राव सा शिकारपुरा खातेदार	53	1.4029	2.26	बारानी तृतीय

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 30.09.2024 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनाक 30.09.2024 डिकी का अभिन्न अग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

(पुखराज कांसोटिया) RAS

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 64 / 2024

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.हुकमसिह पुत्र भँवरलाल जाति राव निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01,चन्द्रभान पुत्र बशीलाल जाति राव निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर 02.पदमसिह पुत्र मगसिह जाति राजपूत निवासी निम्बला तहसील लूणी जिला जोधपुर 03.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 64 / 2024 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 30.09.2024 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे।

नीज..मुबलिक.................................बाबत.................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह..फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक..को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 27/11/2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

मुद्वाई	रूपया	पै.	मुद्वायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्आम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	–		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान	–	–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी